1. आदर्श कारागार, लखनऊ

स्वतंत्रता के उपरान्त शासन की सुधारवादी नीति के अन्तर्गत कारागारों में सुधार के उद्देश्य से बंदियों के शैक्षिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुधार व पुनर्वासन के लक्ष्य को साकार रूप देने के लिये केन्द्रीय कारागार, लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में वर्ष 1949 में प्रतिस्थापित किया गया। आदर्श कारागार लखनऊ देश में अपनी किस्म की एक मात्र संस्था है।

2. नारी बंदी निकेतन लखनऊ व महिला कारागारें

आदर्श कारागार लखनऊ के परिसर में नारी बंदी निकेतन नाम की एक विशिष्ट कारागार संस्था स्थापित है, जिसमें तीन माह से अधिक की अवधि के लिए दण्डित सिद्धद्वोष महिला बंदियों को रखा जाता है। यहाँ बंदी महिलाओं के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखने हेतु एक क्रेच (पालनाघर) स्थापित है तथा बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

3. केन्द्रीय कारागार

देश में यह एक मात्र पहला प्रदेश है, जिसके अन्तर्गत आगरा में सर्वप्रथम केन्द्रीय कारागार सन् 1844 में स्थापित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, वर्ष 1868 में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केन्द्रीय कारागार, नैनी (इलाहाबाद) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना की गयी।

4. जिला कारागार

सम्प्रति प्रदेश e 57 जिला कारागारें fd;k"ky हैं। विचारधीन बंदियों के साथ प्रथम श्रेणी की जिला कारागारों में 7 वर्ष से कम अवधि के लिए दण्डित सिद्धद्वोष बंदी, द्वितीय श्रेणी की कारागारों में 3 वर्ष से कम अवधि के लिए दण्डित सिद्धद्वोष बंदी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की जिला कारागारों में दो वर्ष से कम अवधि के लिए दण्डित सिद्धद्वोष बंदीजनों को रखे जाने का प्राविधान है।

5. उप कारागार

तहसील स्तर पर उप कारागारों की स्थापना देवबंद और महोबा में की गई है। इन उप कारागारों में अधिकांशत: विचारधीन बंदी निरूद्ध किये जाते हैं।

6. किशोर सदन, बरेली

ऐसे आकस्मिक सिद्धद्वोष किशोर बन्दियों, जिनकी आयु सजा के समय 19 वर्ष से अधिक न हो तथा सजावधि 1 वर्ष से कम न हो तथा यौन या अप्राकृतिक यौन अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित न हो, को23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन, बरेली में निरूद्ध रखा जाता है, यहाँ संवासियों को कक्षा-8 तक की शिक्षा प्रदान करने

हेतु एक जूनियर हाईस्कूल है। इसके अलावा इन्हें स्काउट एवं एनसी.सी., बैण्ड, सिलाई व चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है।

7. अल्प वयस्क कारागार

किशोर सदन के अतिरिक्त परिशिष्ट-ग में अंकित 18 अल्पवयस्क कारागारों की स्थापना/निर्माण भी केन्द्रीय कारागार नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में किया गया है। इन अल्पवयस्क कारागारों में 18 वर्ष तक की आयु के बंदियों को निरूद्ध रखा जाता है। शेष कारागारों में इस आयु वर्ग के बंदियों को कारागारों के भीतर ही अलग बैरकों में रखा जाता है।

8. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष **1940 से यह सम्पूर्ण देश में सबसे पुराना संस्थान कार्यशील है। कार्मिक प्रशिक्षण के उन्नयन व क्षमता में गुणात्मक वृद्धि के निमित्त तत्कालीन कारागार प्रशिक्षण विद्यालय का नाम परिवर्तन कर सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान किया गया।**

9. जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ

in'k dh dkjkxkjk e cfn;k }kjk mRikfnr vk|kfxd o nLrdkjh mRiknk dk mi;ksx dkjkxkjk e gksrk gA bld lkFk gh vU; 'kkldh; foHkkxk l ikIr gku okyh ekx dh ifr Hkh dh tkrh gA dkjkxkj mRiknk d vke turk e in'ku ,o fod; gr vehukckn] y[kuÅ e ty fMik lpkfyr gA ty fMik d ek/;e l le;≤ ij in'k dh fofHkUu dkjkxkjk e mRikfnr lkexh rFkk ty thou dh ,frgkfld oLrvk rFkk cfn;k dh dfr;k dk in'ku y[kuÅ egRo o dEHk ey e fd;k x;k gA